



## उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

अधिहरण वाद सं—04/2022

राज्य-बनाम-बहादुर दुड़ु एवं उमेश राणा

07/06/24

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक-4040/अप0शा0 दिनांक 02.09.2022 के आलोक में ताराटांड थाना कांड सं-24/22, दिनांक 01.06.2022, धारा—379/414/34 भा0द0वि0, 04/54 Jharkhand Mines and Mineral Concession Rule 2004 and Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) rules 2017, 13 and 4(1A)/21 Mines and Minerals (Development and Regulation ) Act 1957 में अनुसंधानकर्ता द्वारा जप्त ट्रैक्टर 1.ट्रैक्टर इंजन सं-3100NS04B909497F31 चेचीस नं0-MZQSH913465SM पंजीयन सं0-JH11AE-8964 2.सोनालिका ट्रैक्टर इंजन सं0-3100FLS33H363427F2 चेचीस नं0-JZJSV364197SM पंजीयन सं0-JH10AL-7688 के विरुद्ध राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त के आलोक में अधिहरण वाद सं0 04/2022 राज्य-बनाम-बहादुर दुड़ु एवं उमेश राणा (ताराटांड थाना कांड सं 24/22 में जप्त वाहन) का संधारण कर सुनवाई प्रारंभ की गई। अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में संधारित अधिहरण वाद सं0 09/2022 में पारित आदेश के विरुद्ध तदोपरांत माननीय ज्ञारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(Cr) No. 1212 of 2023 सीता राम महतो एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 की कंडिका-6 जो निम्नवत् है:—

*"In view of law declared by the co-ordinate Bench of this Court, the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate is not a competent authority to pass the order of confiscation. Accordingly, the order dated 03.11.2023 passed by the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Giridih in Confiscation Case No. 09 of 2022 is, hereby, quashed and set aside and the matter is remitted back to the learned court below who has taken cognizance, to pass an appropriate order in accordance with law."*

उक्त न्यायादेश के आलोक में इस (अधिहरण वाद सं0 04/2022 राज्य-बनाम-बहादुर दुड़ु एवं उमेश राणा) वाद को Drop(समाप्त) किया जाता है।

उभय पक्षों को आदेश से अवगत कराया जाय।

लेखापित एवं संशोधित,

९५-०५/०६/०५

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
गिरिडीह।

९५-०५/०६/०५

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
गिरिडीह।

ज्ञापांक ५५८/न्या० दिनांक ७/६/२०२४

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को उनके पत्रांक-4040/अप०शा० दिनांक 02.09.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

९५-०५/०६/०५

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
गिरिडीह।